

# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0-1173 वर्ष 2017

कुन्ती देवी, पत्नी-स्वर्गीय लौहर सिंह, निवासी ग्राम-शिवपुर, डाकघर-शिवपुर,  
थाना-बिक्रमगंज (बिहार) ..... याचिकाकर्ता

बनाम्

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण अपने प्रबंध निदेशक, लुबी सर्कुलर रोड, डाकघर, थाना एवं  
जिला-धनबाद ..... उत्तरदाता

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर

याचिकाकर्ता के लिए :- श्री कल्याण बनर्जी, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए:- श्री रवि कुमार, अधिवक्ता

5/07.08.2017 रिट याचिका में प्रार्थना प्रत्यर्थी को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के भुगतान के लिए प्रतिवादी को निर्देश देने के लिए है। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह दिवंगत लौहर सिंह की विधवा है, जो प्रतिवादी प्राधिकरण के अधीन माइट के रूप में कार्यरत थी। याचिकाकर्ता के पति 30.11.2014 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए और उनकी 29.04.2015 को मृत्यु हो गई। प्रत्यर्थी के निर्देश पर प्रत्यर्थी-प्राधिकरण के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि स्वर्गीय लौहर सिंह की मृत्यु के कारण अर्जित सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का भुगतान प्राधिकरण द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार याची को किया जाएगा, जिसकी पहली किस्त याची के दावे के उचित सत्यापन पर छह सप्ताह के भीतर याची को भुगतान की जाएगी, यदि याची को उसके भुगतान के लिए कोई विविध असमर्थता नहीं है।

प्रत्यर्धी की ओर से दिए गए वचनबंध को स्वीकार करते हुए, रिट याचिका का निपटान, याची को कानून के अनुसार भुगतान करने के निर्देश के साथ किया जाता है ।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया०)